भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खंड–3, उप खण्ड (ii)में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं. 34/2015–20
नई दिल्ली, दिनांकः 06 दिसम्बर, 2019

शुद्धि पत्र

विषयः अधिसूचना सं. 31/2015–2020 दिनांक 13 नवंबर, 2019 का शुद्धि पत्र

सा.आ.(अ.) विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि अधिसूचना सं. 31/2015–2020 दिनांक 13 नवम्बर, 2019 जिसे भारत के राजपत्र असाधारण में सं.सा.आ. 4097(अ) दिनांक 13 नवम्बर, 2019 के तहत प्रकाशित किया गया था उस तिथि से प्रभावी होगी जिस तिथि को राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त (सं. 2) अधिनियम 2019 (वर्ष 2019 का 23) की धारा 88(ख) को अधिसूचित किया जाएगा। इस प्रकार अधिसूचना सं. 31/2015–20 दिनांक 13 नवम्बर, 2019 को वित्त अधिनियम की पांचवी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची में संशोधन को अधिसूचित किए जाने तक लागू नहीं किया जाएगा।

इस अधिसूचना का प्रभावः अधिसूचना सं. 31/2015–2020 दिनांक 13 नवम्बर, 2019 को लागू करने की तिथि को बाद में अधिसूचित किया जाएगा।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अमित यादव
(अमित यादव)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. 01/89/180/11/एएम–17/पीसी–2क से जारी)

टिप्पणीः प्रधान अधिसूचना सं. 36/2015–2020 दिनांक 17 जनवरी, 2017 को भारत के राजपत्र असाधारण में सं.सा.आ. 172 (अ) दिनांक 17 जनवरी, 2017 द्वारा अधिसूचित किया गया तथा इसे अधिसूचना सं. 31/2015–2020 दिनांक 13 नवम्बर, 2019 के तहत संशोधित करके सं.सा.आ. 4097 (अ) दिनांक 13 नवम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था।